



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:meel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DNT/FE/30CHG03002

दिनांक -25/3/2019

प्रेषिति- श्री ए.के.प्रजापति, खान एजेंट

बैलाड़ीला लौह आयस्क खान.डिपॉजिट-11

किरांदूल कॉम्प्लेक्स

जिला- साउथ बस्तर, दांतेवाड़ा(सी.जी.)-494556

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में स्थित आपकी डिपॉजिट-11, लौह आयस्क खदान 874.294 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 06.02.2019 by undersigned accompanied by Shri Sunil Kumar, Mining Engineer & Shri Santosh Anand Padhye, AGM Geology.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दांतेवाड़ा / लौह /खयो/1055/2016-रायपुर dated 09.12.2016 and following deviation was observed during inspection 1. It was proposed to mine pit no 11A of total tentative excavation of 3.50 lakh tons in which 2.70 lakh tons of ore of plant feed and 0.30 lakh tons of sub grade in 2017-18 but no such mining done. . 2. It was proposed to construct buttress wall at the toe of dump 200 m in 2017-18 & 200 m in 2018-19 but during mine visit it was observed that proper retaining wall to arrest washed fines and rolling boulders not constructed. 3. It was proposed to drill 5 bore holes in 2017-18 & 5 bore holes in 2018-19 of total meterage of 700 m in pit 11 A but no bore holes drilled.
45(5)	On scrutiny of annual return of mine it is noticed that DMF and NMET contribution is not included in the cost of production of Iron ore per tonne. Needs to be rectified.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) & 45(7) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

3 उप महानिदेशक (सांख्यिकी), पांचवा तल, ब्लाक डी इंदिरा भवन सिविल लाईन्स, नागपुर -440 001

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

